न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 222 / 2022

अनवान : –

1. सरोज पुत्री कृष्ण कुमार जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी कानसर तहसील नोहर।

– सायला

बनाम्

1. प्रेमचन्द पुत्र कृष्ण कुमार जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी कानसर तहसील नोहर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
3. उप पंजीयक खुईया तहसील नोहर।
4. रमेश कुमार पुत्र सोहनलाल जाति कुम्हार साकिन कानसर तहसील नोहर।

– गैरसायालान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– 1. श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता **सायल**
2. श्री हवासिह पुनिया अधिवक्ता **गैरसायल**

निर्णय दिनांक: 18/06/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीया ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के खाता स0 905 / 480 के खसरा न0 1640 / 18 की 3.4790 हैक्ट भूमि गैरसायल स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि सायल की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जो सायल के पिता कृष्ण कुमार के नाम दर्ज थी कृष्ण कुमार के देहान्त के बाद गैरसायल स0 1 ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर समस्त भूमि अपने अकेले के नाम दर्ज करवा ली उक्त भूमि में सायला का गैरसायल स0 1 के साथ जन्मजात हक हिस्सा है।

गैरसायल संख्या 1 जो सायला का भाई है अपने नाम दर्ज भूमि को अजनबी व्यक्तितों को बेचान करना चाहता है यदि गैरसायल संख्या 1 अपने मकसद में कामयाब हो जाता है तो सायल को अपूर्णीय क्षति होगी इसलिए सायला गैरसायल संख्या 1 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द करवाना चाहता है कि गैरसायल संख्या 1 उक्त वाद भूमि को ताफैसला दावा रहन, बैय व मुन्तकिल न करे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा कानसर के खाता स0 905 / 480 के खसरा न0 1640 / 18 की 3.4790 हैक्ट भूमि की अप्रार्थी स0 1 यथास्थिति बनाये रखें।

अप्रार्थीगण को जरिये नो[illegible] अप्रार्थी संख्या 4 ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की [illegible] होने के बाद सायला व उसकी माता प्रतिवादीया स0 2 ने जरिये [illegible] दिनांक 07.12.2001 [illegible] अपना हक हिस्सा गैरसायल स0 1 के पक्ष मे त्याग किया है उसी [illegible] आधार पर वाद भू[illegible]सायल स0 1

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.25 19:25:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

के नाम दर्ज हुई है एवं परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ती के लिए गैरसायल स0 1 ने 1.2650 हैक्ट भूमि जरिये बैयनामा दिनांक 17.11.2021 द्वारा उत्तरदाता को बैय की है। उत्तरदाता खरीद के समय से ही वाद भूमि पर काबिज है एवं मुताबिक बैयनामा रिकार्डेड खातेदार है। इसलिए स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जा सकता है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया की गैरसायल संख्या 1 जो सायला का भाई है ने वाद भूमि अपने अकेले के नाम दर्ज करवा ली जबकि वाद भूमि पैतृक भूमि है जिसमें सायला का भी हक हिस्सा है। गैरसायल स0 1 अपने नाम दर्ज भूमि को अजनबी व्यक्तिों को बेचान करना चाहता है यदि गैरसायल संख्या 1 अपने मकसद में कामयाब हो जाता है तो सायल को अपूर्णीय क्षति होगी इसलिए सायल गैरसायल संख्या 1 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द करवाना चाहता है कि गैरसायल संख्या 1 उक्त वाद भूमि को ताफैसला दावा रहन, बैय व मुन्तकिल न करे। इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया की सायला के पिता के फौत होने के बाद सायला व उसकी माता प्रतिवादीया स0 2 ने जरिये दस्बरदारी दिनांक 07.12.2001 द्वारा अपना हक हिस्सा गैरसायल स0 1 के पक्ष मे त्याग किया है उसी के आधार पर वाद भूमि गैरसायल स0 1 के नाम दर्ज हुई है एवं परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ती के लिए गैरसायल स0 1 ने 1.2650 हैक्ट भूमि जरिये बैयनामा दिनांक 17.11.2021 द्वारा उत्तरदाता को बैय की है। उत्तरदाता खरीद के समय से ही वाद भूमि पर काबिज है एवं मुताबिक बैयनामा रिकार्डेड खातेदार है। इसलिए स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जा सकता है।अतः प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने के कारण खारिज योग्य है।

अधिवक्ता प्रार्थीया ने बहस में पुनः निवेदन किया की दिनांक 17.11.2021 को दस्तबरदारी के समय सायला नाबालिग थी और नाबालिग अपना हक त्याग कैसे कर सकती है। वाद भूमि पर गैरसायल स0 4 काबिज नही है जबकि सायला काबिज है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने एवं प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहूंचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत हक अधिकारों की घोषणा मूल दावें के निर्णय में तय होने है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? प्रार्थीया एवं अप्रार्थीगण के हक अधिकारों की घोषणा मूल दावे में तय होना है।

प्रार्थीया का कथन है कि गैरसायल संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि में प्रार्थी का जन्मजात हक हिस्सा है प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से साबित है कि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि पैतृक भूमि है अगर अप्रार्थी संख्या 1 उक्त भूमि क[illegible]य करता है तो अपूर्णीय क्षति होगी तथा अप्रार्थी का कथन है कि सायला [illegible] जरिये दस्तबरदारी गैरसायल स0

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.25 19:25:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

1 के पक्ष मे त्याग किया गया है जबकि सायला का कथन है कि उस वक्त सायला नाबालिग थी और नाबालिग कैसे हक त्याग कर सकती जो की मूल दावा में तय होने है।

उक्त विचेनानुसार सायला द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से उक्त वाद भूमि पैतृक भूमि है अगर अप्रार्थी स0 1 उक्त वाद भूमि को रहन, बैय करता है तो अपूर्णीय क्षति प्रार्थीया को होगी उक्त विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीया के पक्ष में साबित होता है। जब प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीया के पक्ष में आंशिक सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होता है क्योंकि वादग्रस्त भूमि बाबत हक अधिकारों की घोषणा मूल दावें के निर्णय में तय होने है इसलिए अप्रार्थी संख्या 1 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थीया प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा साबित होने के कारण स्वीकार किया जाकर दिनांक 28.09.2022 को जारी की गई अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थी संख्या 1 ताफैसला दावा कन्फर्म किया जाता है पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 10/6/24 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.25 19:25:22 IST
Reason: SelfAttested